न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05/2025 **दायर दिनांक: 27.02.2025**

उनवान

1. केदार मीणा आयु 40 वर्ष पुत्र चन्द्रसेन जाति मीणा निवासी अटरू तहसील अटरू
2. लोकेश आयु 36 वर्ष पुत्र बलराम जाति मीणा निवासी अरण्याखेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,131 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :–
प्रार्थिया :–विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाक:19.03.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 131 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू की खाता संख्या 91 का खसरा न. 556/168 का रकबा 1.52 है0 दक्षिण दिशा व खसरा न. 559/277 का रकबा 0.01 है0 पूर्व दिशा कुल किता 2 का रकबा 1.53 है0 भूमि स्थित थी जिसकी नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है । प्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थी क्रम 2 से जर्ये रजिस्टर्ड बेनामा खसरा न. 556/168 का रकबा 1.52 है0 में से 0.16 हैक्टर आराजी दक्षिण दिशा की क्रय की थी एवं प्रार्थी क्रम 2 की बची हुई भूमि खाता संख्या 91 का खसरा न. 572/556 का रकबा 1.36 हैक्टर में से उत्तर दिशा की 0.09 हैक्टर आराजी भी प्रार्थी क्रम 1 ने क्रय की थी जिसका इन्तकाल खुलकर आराजी प्रार्थी क्रम 1 के खाते दर्ज हो चुकी है। जिसकी नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी क्रम 1 व 2 की तहसीलदार अटरू द्वारा प्रार्थी क्रम 1 व 2 की सहमति से बंटवारा किया गया और मुताबिक़ बॅटवारा नक्शे में पटवारी हल्का द्वारा अलग–अलग तरमीम की गई। प्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त खरीदशुदा भूमि पर पेट्रोल पम्प की डिमाण्ड की गई थी और उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:27 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर पेट्रोल पम्प स्वीकृत हो गया है। प्रार्थी क्रम 1 ने उक्त भूमि को वाणिज्य भूमि में कन्वर्ट करने के लिये सामने की भूमि खसरा न. 577/571 कुल रकबा 37×10=370 वर्गमीटर लगभग 0.04 हैक्टर भूमि को राज्य हित में समर्पित कर दिया गया था। प्रार्थी क्रम 1 द्वारा पटवारी हल्का से जमाबन्दी व नक्शे की नकले प्राप्त करने पर प्रार्थी क्रम 1 को जानकारी हुई की प्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी क्रम 2 से खरीदी हुई भूमि को नक्शे में तरमीम करते समय प्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने दिनांक 04/01/2024 को नक्शे में गलत तरमीम की जानकारी होने पर दिनांक 04/01/2024 को नक्शा दुरुस्त करवाने हेतु तहसीलदार साहब अटरु को प्रार्थना पत्र पेश किया तो तहसीलदार साहब अटरू द्वारा नक्शा दुरुस्त करने हेतु आप श्रीमान के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी, तब प्रार्थना पत्र प्रस्तुति कारण माननीय न्यायलय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम उत्पन्न हुआ। प्रार्थी क्रम 1 अपने द्वारा खरीदशुदा भूमि को नक्शे में की गई तरमीम व समर्पण को निरस्त करवाकर सही तरमीम खसरा न. 574/572 में पूर्व से पश्चिम की तरफ 59 मीटर छोड़कर पूर्व व पश्चिम दिशा में 45.71 मीटर तथा उत्तर व दक्षिण दिशा में 35 मीटर भूमि को नक्शे में तरमीम करवाना चाहता है जिसमे प्रार्थी क्रम 2 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड नक्शे को दुरुस्त कर तरमीम करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु नक्शे को दुरुस्त कर तरमीम किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी क्रम 1 की उक्त खरीदशुदा भूमि ग्राम बल्देवपुरा पटवार हल्का कटावर में अटरू–खानपुर मेन रोड पर स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम/माल बलदेवपुरा में प्रार्थी क्रम 1 द्वारा क्रय की गई आराजी खसरा न. 578/571 व 573/572 की भूमि को नक्शे में की गई तरमीम व समर्पण को निरस्त कर सही तरमीम खसरा न. 574/572 में पूर्व से पश्चिम की तरफ 59 मीटर छोड़कर पूर्व व पश्चिम दिशा में 45.71 मीटर तथा उत्तर व दक्षिण दिशा में 35 मीटर भूमि को नक्शे में तरमीम किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/598 दिनांक 12.03.2025 से रिपोर्ट भिजवायी जो शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार अटरू द्वारा ख0नं0 571/556 में की गई तरमीम को तकनीकी कारणों से गलत होना पाया गया। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 571/556 की तरमीम रोड के लगायत मध्य में पूर्व से पश्चिम 35 मीटर व उत्तर से दक्षिण 45.71 मीटर दर्ज किया जाना उचित बताया है। अभिभाषक प्रार्थीगण की मौखिक बहसी सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बलदेवपुरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 91, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बलदेवपुरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 133, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बलेदवपुरा ख0नं0 571/556, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बलदेवपुरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 91 दिनांक 24.04.2024, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बलेदवपुरा ख0नं0 574/572 नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बलदेवपुरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 134, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बलेदवपुरा ख0नं0 573/572, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बलदेवपुरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 1, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बलदेवपुरा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 133 दिनांक 12.09.2024, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बलदेवपुरा ख0नं0 577/571, नकल समर्पण आदेश तहसीलदार अटरू, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2024, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 21.07.2023 व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण, तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट दिनांक 12.03.2025 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 111, 131 एल0आर0एक्ट0 आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम बलदेवपुरा के खसरा नं0 571/556 में की गई तरमीम व समर्पण को निरस्त कर सही तरमीम खसरा नं0 571/556 की तरमीम रोड के लगायत मध्य में पूर्व से पश्चिम 35 मीटर व उत्तर से दक्षिण 45.71 मीटर दर्ज कर तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:27 IST
Reason: SelfAttested

शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है नियमानुसार तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:27 IST
Reason: SelfAttested